न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

अख्तर .... बनाम अब्दुल कलाम

मु.नं.– 17/24 किस्म – T.A

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01/10/25 दिनांक 30/9/25 को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली में आगामी कार्य दिवस दिनांक 01/10/25 को तारीख पेशी नियत की गई। आज अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

18.11.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 लगा 03 की विधिवत रूप से तामील हो चुकी है। तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 01 लगा 03 की ओर से जवाब प्रा.पत्र T.I पेश नहीं हुआ है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I दिनांक 30.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

30.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

17.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	अख्तर बनाम अब्दुल कलाम मु.नं.– 17/24 किस्म – T.A.
	अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सम्बन्धित मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
17/2024	26.03.2024	17.02.2026

बउनवान

1. अखतर पुत्र छज्जू खॉ, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. जयकम पुत्र छज्जू खॉ, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. इसरायल पुत्र छज्जू खॉ, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. मुकरर्म पुत्र छज्जू खॉ, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. अब्दुल कलाम पुत्र रमज्या, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. इमरान खॉ पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. कलामुद्दीन पुत्र रमज्या, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. नसीर खॉ पुत्र रमज्या, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
5. समीम पुत्री रमज्या पत्नी हुसैन खॉन, निवासी कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री प्रदीप चौधरी।
2. अप्रार्थी सं. 01 लगा. 03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजीयात ग्राम कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के खसरा सं. 2009, 2011, 2012, 2016, 2111, 2146, 2147, 2149, कुल किता 8, कुल रकबा 2.70 हैक्टे. ग्राम कोट, तहसील महवा, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात सायलान एवं गैरसायल सं. 01 लगायत 06 एवं अन्य प्रतिवादीगण दावा की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका आपसी सहमति से विभाजन कर कब्जा काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात में सायल सं. 1, सायल सं. 2 तथा सायल सं. 3 का हिस्सा क्रमशः 1/10, 1/10, 1/10 हिस्सा, सायल सं. 4 का 1/10 हिस्सा तथा शेष 3/5 हिस्सा दावा अन्य दावा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सायलान, गैरसायलान व दावा प्रतिवादीगण सभी अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। गैरसायलान सभी मिलकर सायलान को उनके हिस्से की आराजी में आये दिन व्यवधान पैदा करते रहते है तथा उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजी का बिना विधिवत बंटवारा कराये ही किसी दीगर व्यक्तियो को अपने हिस्से का बेचान करना चाहते हैं तथा कुछ गैरसायलान अपने हिस्से से भी अधिक भूमि पर पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है। जब सायलान उनसे कुछ भी कहते है तो नहीं मानते है तथा निर्माण करने व रहन बय करने की धमकी देते हैं। दिनांक 12.03.2024 को सायलान अपने हिस्से की आराजी पर थे कि वहां पर गैरसायलान के प्रतिनिधि एवं कुछ गैरसायलान आये और सायलान से कहने लगे कि तुमने जो जमीन पर काश्त कर रखी है वह भूमि तुम्हारे हिस्से से अधिक है तथा हमारे पास कम है। तुमने ज्यादा भूमि पर काश्त कर रखी है, इस कारण उक्त भूमि का पुनः विभाजन करेंगे। तभी सायलान ने उनसे कहा कि तहसील कार्यालय मण्डावर में चलते है और उक्त आराजी का अपने हिस्से व कब्जे के आधार पर विधिवत विभाजन करवा लेते है तथा विभाजन कराये जाने के बाद उक्त आराजी की पेमाईश करवा लेते है जिससे सभी का वहम निकल जायेगा। तभी गैरसायलान ने कहा हम न तो तहसील में चलेगें और ना ही बंटवारा करायेगे। हमारे तो लटठ में ताकत है, हम तो हमारे हिस्से की आराजी का किन्हीं दीगर व्यक्तियों को बेचान करेगें जो विक्रय की जाने वाली जमीन की आड़ में तुम्हारी भूमि पर भी कब्जा कर लेंगे लेकिन वो इसके लिये तैयार नहीं है और वो जबरन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य करने व विक्रय करने पर आमादा है। यदि गैरसायलान अपनी इस योजना में सफल हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। दिनांक 12.03.2024 को गैरसायलान द्वारा तकास्मा कराने से इन्कार करने के कारण तथा आराजी को बिना विधिवत विभाजन किये ही उसमें निर्माण कार्य करने व दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी दिये जाने से बमुकाम कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुआ है। इस कारण दावा प्रार्थना पत्र हाजा अन्दर मियाद पेश है। सायलान विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र में सहखातेदार है तथा अपने हिस्सा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वो विवादित आराजी को रहन विक्रय कर सकते है जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इसलिये अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजीयात में सायलान के हिस्से की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, रुकावट, मजाहमत, मदाखलत ना तो गैरसायलान स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे। सायलान को शान्तिपूर्वक काबिज रहने दे तथा बिना विधिवत विभाजन के गैरसायलान अपने अपने हिस्से का भी किसी को भी रहन बेचान नहीं करे तथा निर्माण आदि कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 26.03.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम कोट, पटवार हल्का कोट, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के मौके एव राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजीयात पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति मे यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 2009, 2011, 2012, 2016, 2111, 2146, 2147, 2149, कुल किता 8, कुल रकबा 2.70 हैक्टे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.03.2024 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि उभय पक्ष उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)